

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया के 'खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र' में तहसीलदार राजस्व संगरिया के पत्र के विविध/भू-अ0/022/2891 दिनांक 06.10.2022 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 2 एचआरपी की जमाबन्दी सम्बन्धित 2073-76 में खाता संख्या 83/53 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्ट को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	पटवार हल्का का नाम	चक व खाता संख्या	प्रार्थी/काश्तकार से संबंधित वर्तमान प्रविष्ट (अशुद्ध प्रविष्ट)/हिस्सा	हिस्सा कम करना	आदेश (शुद्ध प्रविष्ट जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	हरीपुरा	2 एचआरपी	1591/8728 हिस्सा	0.027 हैक्टर	1564/8728 हिस्सा

नोट :-शेष प्रविष्टि/बैंक रहन यथावत रहेगा।

17/10/22
(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया (नुमानगढ)

क्रमांक :- सम/1570-1573

दिनांक :- 17/10/22

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. संबंधित शाखा प्रबंधक.....।
3. प्रार्थी.....।

17/10/22
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया (नुमानगढ)